न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूॅगरपुर(राज0)

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

दायर दिनांक–11.6.2019

प्रकरण सख्या 18 / 2020 फैसल दिनांक– 9-9-2020

(2019 / 00035)

अनवान

1–श्री योगेन्द्रसिह पिता मोतीसिह राणावत निवासी बनकोडा हॉल मुकाम सागवाडा तहसील सागवाडा जिला डूॅगरपुर

वादी / प्रार्थी

बनाम

1–प्रधानाचार्य, राजकीय महिपाल उच्च माध्यमिक विधालय सागवाडा तहसील सागवाडा जिला डूॅगरपुर

2–श्रीमान भुमिधारी तहसीलदार साहब सागवाडा तहसील कार्यालय सागवाडा जिला डूॅगरपुर

प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण

वकील वादी –श्री निखिल सोमपुरा,अनिरूद्वसिंह

वकील प्रतिवादी –श्री मयक दोसी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट

–: निर्णय :–

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा सागवाडा के जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या नया 102, खाता संख्या पुराना 957 खसरा नम्बर 6412 रकबा 0.0242 हैक्टयर, खसरा नम्बर 6413 रकबा 0.0566 हैक्टयर, खसरा नम्बर 6417 रकबा 0.0242 हैक्टयर प्रार्थी के खेत अप्रार्थी पार्टी नं0 1 के खसरों से जुडे होने के कारण सीमा विवाद होने से प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित तमाम खसरा नम्बरों की पेमाईश कराई जाने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी का अपने स्वामित्व की उपरोक्त भूमि पर कब्जा है लेकिन मौके पर अन्य काश्तकार के द्वारा विवाद किया जा रहा है एवं प्रार्थी को उनके स्वयं के स्वामित्व की उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि को उपयोग,उपभोग आदि नही करने दिया जा रहा है। जिससे प्रार्थी की उक्त आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी कराकर सीमाज्ञान कराया जाना आवश्यक है ताकि मौके पर कोई विवाद न हो यह कि विपक्षी संख्या 2 को इस प्रार्थना पत्र के जरिये मौजा सागवाडा के उक्त खसरा

नम्बर की भूमि की पत्थरगढी करने आदेश प्रदान करावे ताकि प्रार्थी को उक्त
आराजी की सीमा जानकारी हो सके एवं मौके पर कोई विवाद उत्नन्न न हो।
प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अन्त में मौजा सागवाडा के जमाबन्दी संवत्
2074–2077 के खाता संख्या नया 102, खाता संख्या पुराना 957 खसरा नम्बर
6412 रकबा 0.0242 हैक्टयर, खसरा नम्बर 6413 रकबा 0.0566 हैक्टयर, खसरा
नम्बर 6417 रकबा 0.0242 हैक्टयर भूमि के सर्म्पुण खसरों कि पेमाईश इलेक्ट्रोनिक
मेजरमेन्ट मशीन से पत्थर गढी के लिये विपक्षी संख्या 2 श्रीमान् भूमिधारी
तहसीलदार साहब सागवाडा को आदेश जारी करने एवं रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस के
मगंवाये जाने का निवेदन किया गया है।
प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए
प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2074–2077 एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत
किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी 1 को जवाब प्रस्तुत करने नोटिस
जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1की और सें वकील श्री मयंक दोसी ने जवाब पेश
किया गया। उभयपक्ष बहस सुनी जाकर समायत की गई। प्रार्थी प्रश्नगत
आराजीयात का रिकॉर्डेड खातेदार है अतः वह पत्थरगढी कराने का अधिकारी है।
अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में मजीद अर्ज में जिन बिन्दुओं पर इमदाद चाही
है, वह समस्त साक्ष्य के विषय है, भविष्य में यदि अधिकार के संबंध में कोई वाद
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब उन पर विचार किया जायेगा। केवल
संभावनाओ के आधार पर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाकंन/पत्थरगढी
से नही रोका जा सकता है।
मौजा सागवाडा के जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या नया
102, खाता संख्या पुराना 957 खसरा नम्बर 6412 रकबा 0.0242 हैक्टयर, खसरा
नम्बर 6413 रकबा 0.0566 हैक्टयर, खसरा नम्बर 6417 रकबा 0.0242 हैक्टयर भूमि
का रेकॉडेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार
सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा सागवाडा के जमाबन्दी संवत्
2074–2077 के खाता संख्या नया 102, खाता संख्या पुराना 957 खसरा नम्बर
6412 रकबा 0.0242 हैक्टयर, खसरा नम्बर 6413 रकबा 0.0566 हैक्टयर, खसरा
नम्बर 6417 रकबा 0.0242 हैक्टयर भूमि का वादी/प्रार्थी 01 को नियमानुसार सीमा
जानकारी एवं मौके पर पेमाईश इलेक्ट्रोनिक मेजरमेन्ट मशीन से पत्थरगढी की
जाकर पालना रिपोर्ट पेश करें। शुल्क नियमानुसार प्रार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
निर्णय आज दिनांक 9-9-2020 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल
शुमार हो नम्बर से कम हो।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा